पावर ट्राँसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि0

(उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम)

प्रबन्ध निदेशक कार्यालय

विद्युत भवन, नजदीक–आई0एस0बी0टी0 क्रासिंग, सहारनपुर रोड़, माजरा, देहरादून–248002

दूरभाष नं0 0135–2642006 फैक्स नं0 0135–2643460 email:- md.ptcul@rediffmail.com

पत्रांकः 2694/प्र0नि0/पिटकुल/ [illegible] दिनांकः– 22/12/2021

कार्यालय ज्ञाप

पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि0 के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की धारा–34 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उत्तराखण्ड शासन द्वारा पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि0 में पूर्णकालिक निदेशकों की नियुक्ति की जाती है तथा संबंधित नियुक्त निदेशकों द्वारा भ्रमण कार्यक्रम एवं अवकाश हेतु प्रचलित नियमों के अनुपालन में उत्तराखण्ड राज्य सरकार से पूर्व अनुमोदन प्राप्त किया जाता है। अल्प अवधि के अवकाश के दौरान पूर्णकालिक निदेशक पद के दायित्व किसी अन्य निदेशकों को हस्तान्तरित कराने में कठिनाई एवं समय लगता है जिस कारण उनकी अनुपस्थिति में सम्बन्धित पद के दायित्वों के निर्वहन में अवरोध की स्थिति उत्पन्न होती है तथा निगमों के आवश्यक एवं महत्वपूर्ण कार्यों में विलम्ब होता है तथा कई बार नितिगत प्रकरणों/क्रियाकलापों के क्रियान्वयन में कठिनाई का सामना करना पड़ता है जिससे कारपोरेशन के कार्यों में इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ना अवश्यंभावी होता है।

उपरोक्त के दृष्टिगत यह निर्णय लिया जाता है कि पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि0 में किसी भी पूर्णकालिक निदेशक के दो दिवस से अधिक समय के अवकाश पर जाने की स्थिति में उक्त पद की समस्त शक्तियाँ सम्बन्धित पूर्णकालिक निदेशक के अवकाश से वापसी की तिथि तक स्वतः प्रबन्ध निदेशक, पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि0 में निहित रहेगी।

(राधा रतूड़ी)
अध्यक्ष

संख्याः 2694 /अध्यक्ष/पिटकुल/ md (om) तददिनांकित

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2. अपर मुख्य सचिव (ऊर्जा), उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3. प्रबन्ध निदेशक, पिटकुल, देहरादून।
4. समस्त पूर्णकालिक निदेशक, पिटकुल, देहरादून।
5. कट फाईल।
6. महाप्रबन्धक (दि० एवं का० स०) पिटकुल
7. उपमहाप्रबन्धक (सू० प्रौ०) को पिटकुल वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

(राधा रतूड़ी)
अध्यक्ष